



दिल्ली विकास प्राधिकरण

गोपनीय शाखा

संस्थापना आदेश:- 1037

दिनांक: 22/9/2020

विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश के आधार पर वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा. निम्नलिखित निजी सहायकों/ग्रेड 'सी' आशुलिपिकों को, निजी सचिव के पद पर सातवें वेतन आयोग की संशोधित संरचना में लेवल 8 में (जो कि छठे वेतन आयोग में 9300-34800/-रु0 के पे बैंड में 4800/-रु के ग्रेड पे था) पदोन्नत करते हैं:

क्रम सं. / वरि.सं.	नाम व्. पिता/पति का नाम सर्वश्री/-	तैनाती का वर्तमान स्थान
1/491	श्रीमती सपना मुजाल धर्मपत्नी श्री एन.एल. मुजाल	आयुक्त (योजना)
2/492	श्रीमती रेनू सक्सेना धर्मपत्नी श्री दीपक सक्सेना	अधीक्षण अभियंता (पूर्वी खंड-12)
3/510	श्रीमती रीटा सेठी धर्मपत्नी श्री महेंद्र सेठी	अधीक्षण अभियंता, सिविल परिमंडल-9
4/511	श्री ३याम सिंह रावत सुपुत्र श्री जी.एस. रावत	उपाध्यक्ष कार्यालय
5/512	श्रीमती रीटा धर्मपत्नी श्री राकेश कुमार	पश्चिमी खण्ड-7

2. यदि उपरोक्त अधिकारियों को ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी. स्कीम के अंतर्गत 9300-34800/-रु0 के वेतन मान में 4800/-रु0 के ग्रेड पे सहित (छठा वेतन आयोग) (जोकि सातवें वेतन आयोग की संशोधित संरचना में लेवल 8 है) पहले ही वित्तीय अभिवृद्धि प्रदान कर दी गई है, तो उन्हें कोई वित्तीय लाभ की अनुमति नहीं होगी परन्तु उनका वेतन सातवें वेतन आयोग की संशोधित संरचना में लेवल 8 में निर्धारित होगा। यदि पहले वित्तीय लाभ नहीं मिला है तो उनके वेतन का निर्धारण सातवें वेतन आयोग के प्रावधानों के आधार पर निर्धारित होगा। उनके वेतन का निर्धारण एफ.आर.22(1)(क)(1) के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित किया जाएगा तथा वे इस आदेश के जारी होने के 30 दिन के भीतर एफ.आर.22(1)(क)(1) के प्रावधानों के अनुसार अपने वेतन निर्धारण के विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं।

3. निजी सचिव के पद पर अधिकारियों की पदोन्नति के परिणाम स्वरूप सक्षम अधिकारी, दि.वि.प्रा. ने उनकी तैनाती को निम्नानुसार अनुमोदित किया है:-

क्रम सं० / वरि.सं०	नाम व्. पिता/पति का नाम सर्वश्री/-	स्थान से	स्थान को
1/491	श्रीमती सपना मुजाल धर्मपत्नी श्री एन.एल. मुजाल	पदोन्नति पर	आयुक्त (योजना)
2/492	श्रीमती रेनू सक्सेना धर्मपत्नी श्री दीपक सक्सेना	पदोन्नति पर	अधीक्षण अभियंता, सिविल परिमंडल-8
3/510	श्रीमती रीटा सेठी धर्मपत्नी श्री महेंद्र सेठी	पदोन्नति पर	निदेशक (कार्य)
4/511	श्री ३याम सिंह रावत सुपुत्र श्री जी.एस. रावत	पदोन्नति पर	उपाध्यक्ष कार्यालय
5/512	श्रीमती रीटा धर्मपत्नी श्री राकेश कुमार	पदोन्नति पर	निदेशक (युटिपेक) (UTTIPEC)

4. उन्हें आगे कार्यभार ग्रहण करने की सूचना की एक प्रति उप निदेशक (कार्मिक)-1 को भेजते हुए अपने संबंधित अधिकारी को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया जाता है।

(धर्मेन्द्र शर्मा)

उप निदेशक (गोपनीय शाखा)



:2:

सं-एफ.10(03)2020/सी.सी./ ५९।

प्रतिलिपि प्रेषित:-

दिनांक:- २२/९/२०२०

1. उपाध्यक्ष के विशेष कार्यकारी अधिकारी के निजी सचिव ।
2. वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा. के निजी सचिव ।
3. प्रधान आयुक्त (कार्मिक), दि.वि.प्रा. के निजी सचिव ।
4. आयुक्त (कार्मिक) / आयुक्त (योजना), दि.वि.प्रा. के निजी सचिव ।
5. अधीक्षण अभियंता, सिविल परिमंडल 8, 9, दि.वि.प्रा. ।
6. निदेशक (युटिपेक) (UTTIPEC), दि.वि.प्रा. ।
7. निदेशक (कार्मिक)-1 एवं 2 / सतर्कता 1 एवं 2 / (कार्य) / प्रणाली, दि.वि.प्रा.
8. उप निदेशक (कार्मिक)-1 एवं 3 / सतर्कता (प्रशा.)/ आरक्षण कक्ष, दि.वि.प्रा. ।
9. उप निदेशक (प्रणाली), दि.वि.प्रा. की वेबसाइट पर डालने हेतु (About us->Organisation->Personnel->Promotions 2020)
10. अधिशासी अभियंता (पूर्वी खण्ड-12), (पश्चिमी खण्ड-7), दि.वि.प्रा. ।
11. लेखाधिकारी (संस्था) राजपत्रित / अराजपत्रित /योजना/ सम्बंधित (सी.ए.यू.), दि.वि.प्रा. ।
12. सहायक निदेशक (कार्मिक)-1 एवं 3 / पी.आई.एम.एस. / गोपनीय कक्ष-2, दि.वि.प्रा. ।
13. उक्त उल्लिखित अधिकारी ।
14. व्यक्तिगत फाइल / संस्थापना आदेश पुस्तिका / गार्ड फाइल ।

७८०२-क-प्रक्रम ८८  
सहायक निदेशक